

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही

क्रमांक/सामान्य/2026/112

दिनांक :- 25.06.2026

विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही हेतु संविदा सेवा पर कुल 01 वाहन चालक हेतु स्वीकृत पद पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं निम्नानुसार ली जानें हैं:-

क.सं.	प्राधिकरण/समिति का नाम	संविदा सेवा पर वाहन चालक पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही	01

राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं.08(1)/विधि-2/विरसं (194)/2026-68576 दिनांक 19.06.2026 के क्रम माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-7(29)रालसा-संस्था/नवीन वाहन चालक पद सृजन /2026/453 दिनांक 24.06.2026 के अनुक्रम संविदा पर वाहन चालक हेतु स्वीकृत विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की सेवाएं ली जानी है।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिकों की सेवाएं दिनांक 31.03.2027 तक की अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो की कालावधि तक सेवाएं देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेंगे। उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी। उपरोक्त पद पूर्णरूपेण अनुबंध पर सेवा के आधार पर होंगे। उक्त संवर्गों की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अधधीन प्रभावी रहेगी।

उपरोक्त वर्णित संविदा सेवा पर वाहन चालक के रिक्त पद पर निम्न शर्तों के अधधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक कर्मचारी दिनांक 30.06.2026 को 11:00 एएम तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. वाहन चालक केवल वैध लाईसेंसधारी ही होगा और मोटर वाहन यान अधिनियम के तहत एक वैध वाहन चालक की योग्यता रखने वाला ही होगा।
2. संविदा वाहन चालक का पुलिस सत्यापन आवश्यक होगा।
3. चालक वर्दी में अथवा शिष्ट पोशाक में रहेगा और उसे कार्यालय अनुशासन व कार्यालय समय का पालन सख्ती से करना होगा।
4. चालक मादक पदार्थ, शराब या नशीले प्रभाव में वाहन नहीं चलाएगा।
5. चालक समय पर वाहन प्रस्तुत करेगा, लॉगबुक भरेगा, ईंधन पर्वियां सुरक्षित रखेगा और वाहन की सर्विस व मेन्टेनेन्स की समय सीमा की सूचना सचिव को देगा।
6. चालक को यात्रियों से निजी भुगतान लेना, वाहन का निजी उपयोग कराना, अनधिकृत व्यक्तियों को वाहन सौंपना या स्वयं निजी प्रयोजन में वाहन ले जाना निषिद्ध होगा।
7. वाहन किसी भी दशा में वाहन चालक के घर पर पार्क नहीं किया जाएगा।
8. चालक शासकीय यात्राओं की दशा में यात्रा के विवरण की गोपनीयता बनाए रखेगा विशेषकर पीडित बालक-बालिकाओं के सम्बन्ध में तथा जिला प्राधिकरण के समक्ष आने वाले संवेदनशील बिन्दुओं पर, अथवा महिला आश्रय स्थल, नारीनिकेतन, बालगृह, कारागार से सम्बन्धित संवेदनशील जानकारी से किसी बाहरी व्यक्ति को अवगत नहीं कराएगा और न ही जिला प्राधिकरण के किसी आकस्मिक निरीक्षण के विषय में किसी गोपनीय जानकारी को उद्घाटित करेगा।
9. माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा वाहन उपयोग हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया में वर्णित शर्तें लागू रहेगी।

दिनांक 30.06.2026 को 11:00 एएम के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, सिरौही की वेबसाईट

P.T.O

<https://districts.ecourts.gov.in/sirohi> से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती हैं कि दिनांक 25.06.2026 के पश्चात् के आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय, सिरौही की वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

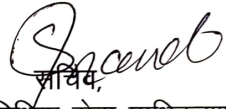
— sd —
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला न्यायाधीश),
सिरौही

क्रमांक / सामान्य / 2026 / १५४५

दिनांक :- 25.06.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सिरौही
3. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर, सिरौही को समस्त अधीनस्थ विभागों / PSUs में सूचित करने बाबत्।
5. अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, शिवगंज / रेवदर / आबूरोड़ / आबुपर्वत / पिण्डवाड़ा।
6. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु)


सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला न्यायाधीश),
सिरौही

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही (राज.)

(विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि:-
4. पता मय मोबाईल नम्बर :-
5. आयु (दिनांक 29.02.2025) :- वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :-
1. मूल विभाग का नाम :-
2. धारित पद :-
3. अनुभव :-
4. मूल वेतन
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)
पे-स्लीप/एलपीसी संलग्न करें।
5. धारित पद का वेतनमान
6. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
7. विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1)..... (2)..... (3).....
8. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

वितरित प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में राज्य सरकार में संविदात्मक विपरीत प्रतिनियुक्ति की सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 12 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रूपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील